




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

रवेन्द्र कुमार जयसवाल बनाम मंगेश दास वर्गैरु

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....131.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-34/17 दिनांक-10-03-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि थाना सं०-28 खामा सं०-477, प्लॉट सं०-3884, रकबा- 3 1/2 डीसमीटर जमीन को लेकर विवाद।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06/10/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
06-10-17	<p style="text-align: center;">अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थापित द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 उपस्थापित क्रमांक 01 उपस्थापित दिनांक 03-11-17 को रखे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  03/11/17 </div>	

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

07-12-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अधिकता हाजरी दिनांक 01 अथवा
02 उपस्थित कमांक 01 अधिकता हाजरी
उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि
में ही चुकी है अतः उक्त कालवाचित
हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की
करवाई बन्द की जाती है।


07/12/18